26.2.19 वस्तुतथ्य प्रतिवेदन-उप.नि.द्वारा वाद वादी खारिज किया जा चुका है लिहाजा इस प्रार्थनापत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है प्रार्थनापत्र पत्रावली खारिज किया जाता एवं न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दि. 9-1-19 स्वतः वैकेट की जाती है आदेश सुनाया गया पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली इस वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner